

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 30.08.2020

थाना शिवली

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 399/20 धारा 60 आबाकरी अधि० में अभियुक्त छोटू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 400/20 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त प्रदीप कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना भोगनीपुर

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 423/20 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियुक्त सुनील को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना रुरा

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 428/20 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियुक्त आलोक को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 429/20 धारा 188/269/271 भा०द०वि० व 3 महामारी अधि० व 51 आपदा प्रबंधन अधि० में अभियुक्तगण भेलू शर्मा आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना डेरापुर

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 247/20 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियुक्त अमित सिंह राजावत को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 248/20 धारा 13 जुआ अधि० में अभियुक्तगण प्रदीप कुमार आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना गजनेर

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 337/20 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियुक्त विजय नारायण को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना सट्टी

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 104/20 धारा 60 आबकारी अधि० में अभियुक्त मनोज कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 29.08.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 105/20 धारा 63/72 आबकारी अधि० में अभियुक्तगण मुथुन आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं०प्र०सं०

दिनांक 30.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा सिकन्दरा 01, रसूलाबाद 01, अकबरपुर 06, रुरा 01, बरौर 01, भोगनीपुर 13, राजपुर 02, डेरापुर 01, मंगलपुर 11, गजनेर 05, अमराहट 01 अभियुक्तों को धारा 151 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

डायल 112- निल